न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **23/2018** अपील (राजस्व)

सुश्री लता सुखवाल पुत्री स्व. श्री पुरूषोत्तम लाल सुखवाल निवासी 446, अम्बामाता स्कीम, उदयपुर (राज.)

—— अपीलान्ट

बनाम

1. श्री गगारिन पिता श्री श्यामसुन्दर जी व्यास, निवासी–21 ब्रह्मपोल मार्ग, उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती शालिनी पत्नी श्री श्यामसुन्दर जी व्यास, निवासी–21 ब्रह्मपोल मार्ग, उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती मधु पुत्री श्री श्यामसुन्दर जी व्यास, निवासी–21 ब्रह्मपोल मार्ग, उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती कविता पुत्री श्री श्यामसुन्दर जी व्यास, निवासी–21 ब्रह्मपोल मार्ग, उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती रेणु पुत्री श्री मदनलाल जी व्यास, निवासी–20, अमृत निवास, ब्रह्मपोल मार्ग, उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती शशिकला पुत्री श्री मदनलाल जी व्यास, पत्नी श्री नवीन चन्द्र जी सुखवाल, निवासी–सहारा अपार्टमेन्ट, फ्लैट नं. 409बी, से.नं. 14, राजस्थान हास्पिटल रोड, गोवर्धन विलास, उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती चन्द्र कला पत्नी श्री मदनलाल जी व्यास, निवासी–20, अमृत निवास, ब्रह्मपोल मार्ग, उदयपुर (राज.)
8. श्री कृष्ण चन्द्र पुत्र श्री इन्दरलाला माता श्रीमती शान्ता देवी निवासी–5ए, माधव निवास, अम्बामाता स्कीम, आयुर्वेद कॉलेज चौराहा, उदयपुर (राज.)
9. श्री राजेन्द्र पिता श्री इन्दरलाल माता श्रीमती शान्ता देवी निवासी–5ए/1, माधव निवास, अम्बामाता स्कीम, आयुर्वेद कॉलेज चौराहा, उदयपुर (राज.) के बजाय :–

9/1– श्रीमती ममता सुखवाल पत्नी स्व. श्री राजेन्द्र कुमार (पत्नी) निवासी–5ए/1, माधव निवास, अम्बामाता स्कीम, आयुर्वेद कॉलेज चौराहा, उदयपुर (राज.)

9/2– श्रीमती विदुषि पिता स्व. श्री राजेन्द्र कुमार (पुत्री) पत्नी श्री कृष्णा चैतन्य यालामनचिली निवासी–5ए/1, माधव निवास, अम्बामाता स्कीम, आयुर्वेद कॉलेज चौराहा, उदयपुर (राज.)

9/3– सुश्री अनुजा सुखवाल पिता स्व. श्री राजेन्द्र कुमार (पुत्री) निवासी–5ए/1, माधव निवास, अम्बामाता स्कीम, आयुर्वेद कॉलेज चौराहा, उदयपुर (राज.)

10. श्रीमती पुष्पा पत्नी श्री मधुसुदन माता शान्ता देवी निवासी–19सी, मधुवन, उदयपुर

11. श्रीमती कुसुम पत्नी श्री पुरूषोत्तम लाल जी माता शन्ता देवी निवासी– इन्जी.पी.एल. सुखवाल, 18ए चरक मार्ग, अम्बामाता स्कीम, उदयपुर

12. श्रीमती विद्या माता शान्तादेवी पत्नी प्रकाश चन्द्र जी सुखवाल, निवासी 329 हर्षनगर, रामपुरा–सीसारमा रोड, उदयपुर।

13. श्री नन्दलाल पिता श्री अमृतलाल जी व्यास, निवासी– 366 टीचर्स कॉलोनी, अम्बामाता स्कीम, उदयपुर।

14. तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर।

–– रेस्पोडेन्ट्स/विपक्षी

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 08.05.2018 नामा.सं. 6500 न्यायालय तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर राज. अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित : श्री चन्द्रशेखर आमेटा, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री महेश भट्ट, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 8, 9/1 से 9/3, 10, 11, 12, 13,
श्री मनोज कुमार पंवार पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः–10.02.2020

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार गिर्वा के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट की बहन श्रीमती सुशीला देवी पत्नी नर्बदाशंकर जी व्यास पुत्री श्री पुरूषोत्तम जी सुखवाल निवासी 446, अम्बामाता स्कीम उदयपुर के स्वामित्व एवं आधिपत्य के खातेदारी हक की कृषि भूमि राजस्व ग्राम सीसारमा के आराजी नं. 2029 से 2044 कुल किता 16 रकबा 2.5050 है0 लगानी 26.52 स्थित होकर अपीलान्ट की बहन स्व.सुशीलादेवी व्यास के पति स्व.नर्बदाशंकर जी व्यास के नाम सम्वत 2068 से 2071 की जमाबन्दी में दर्ज थी। जो उन्हे पैतृक सम्पत्ति में से उनके हिस्से में आयी। उक्त भूमि का दानपत्र नर्बदाशंकर जी द्वारा सुशीला देवी व्यास के नाम पर दिनांक 28. 01.14 को उपपंजीयक उदयपुर के यहा निष्पादित करवाया। जिसके आधार पर नामान्तकरण दिनांक 20.07.14 को खुला। तब से यह भूमि सुशीला देवी व्यास के कब्जेकाश्त में है। जमीन पर विद्युत कनेक्शन नर्बदाशंकर के नाम पर था जो आज

भी चलता आ रहा है। विद्युत बिल सुशीलादेवी द्वारा जमा कराया जाता रहा। उनकी मृत्यु उपरान्त विद्युत बिल की राशि मेरे द्वारा जमा करवायी जा रही है। अपीलान्ट की बहन के कोई जायन्दा औलाद नहीं थी। वह मेरे साथ ही निवास करती थी। उसकी सेवा सुश्रुषा अपीलान्ट द्वारा ही की जाती थी। उक्त भूमि की वसीयत सुशीला देवी व्यास द्वारा अपनी मृत्यु के करीब 3 वर्ष पूर्व दिनांक 07.02.14 को अपीलान्ट के नाम रजिस्टर्ड करवायी। तब से अपीलान्ट उस भूमि पर काबिज काश्त है। अपीलान्ट की बहन की मृत्यु दिनांक 17.07.17 को मुझ अपीलान्ट के घर 446 अम्बामाता स्कीम उदयपुर में हुई। जिसका सारा क्रियाक्रम अपीलान्ट द्वारा ही किया गया। वसीयत के आधार पर नामान्तकरण अपने नाम खुलवाने के लिए सितम्बर 2017 में तहसील गिर्वा में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 14.07.18 को पटवारी हल्का को भेजा गया। जिस पर पटवारी साहब को मेरे द्वारा सारे कागजात प्रस्तुत किये। जिस पर पटवारी साहब द्वारा कहा कि जमीन का नामान्तकरण दो माह पूर्व ही उनके वारिसानो के नाम विरासत के आधार पर खुल चुका है। जिस पर मेरे द्वारा सारी बात बतायी तो पटवारी साहब द्वारा नामान्तकरण रजिस्टर बताया जिसमें मेरी बहन का विधिक वारिसान बताते हुए फर्जी व मिथ्या तरीके से शपथपत्र व प्रार्थनापत्र पारिवारिक सजरा पेश करके मेरी बहन की उक्त कृषि भूमि का नामान्तकरण विरासत के आधार पर रेस्पोडेन्ट ने अपने नाम खुलवा लिया। स्व.श्रीमती सुशीलादेवी व्यास की एकमात्र विधिक वारिसान मै ही हूॅ। मेरी बहन द्वारा कृषि भूमि की पंजीकृत वसीयत मुझ अपीलान्ट के नाम करवा रखी है। इसलिए मेरी बहन की एकमात्र विधिक वारिसान मै ही हूॅ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी रेस्पोडेन्ट के नाम पर उक्त नामान्तकरण खोलते समय न तो कब्जे संबंधी कोई जांच की न ही उक्त कृषि भूमि भौतिक रूप से कब्जा किसका है जिसकी जांच की। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.05.18 को खोले गये नामान्तरकरण सं. 6500 मौजा सिसारमा को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

अपने अपील मेमो के साथ एक प्रार्थना पत्र मियाद कण्डोन कराये जाने हेतु अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त सम्पत्ति की वसीयत मेरी बहन द्वारा मेरे पक्ष में सम्पादित की गई। जिसके आधार पर जमीन का नामान्तकरण मेरे नाम पर खुलवाने हेतु दिनांक 14.07.18 को संबंधित पटवारी सा. के पास गई। पटवारी सा. द्वारा कहा कि दिनांक 08.05.18 को ही इस भूमि का नामान्तकरण खुल चुका है। अविलम्ब नामान्तकरण की नकल प्राप्त कर विधिक सलाह लेकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाये।

अपने अपील मेमो के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. का प्रस्तूत कर निवेदन किया कि अपीलीय नामान्तकरण से हस्तान्तरित भूमि की वसीयत पूर्वाधिकारी द्वारा मेरे पक्ष में दिनांक 07.02.14 को की हुई है। वसीयत के आधार पर प्रार्थीया ही अपनी बहन सुशीला देवी व्यास की एकमात्र विधिक वारिस है। जिसकी अनुपस्थिति में उक्त नामान्तकरण रेस्पोडेन्टगणो द्वारा खुलवा दिया

गया है। जबकि अपीलान्ट का हित निहित है। अतः अपीलान्ट का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान करावे।

अपीलान्ट के प्रार्थनापत्र मयाद अधिनियम पर अपीलान्ट को सुना गया। उसके द्वारा नामान्तकरण की नकल 19.07.18 को ही प्राप्त की गई है एवं दिनांक 30.07.18 को अपील प्रस्तुत कर दी गई है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मयाद माना जाकर मयाद कण्डोन की जाती है।

अपीलान्ट का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. का स्वीकार किया जाता है।क्योकि वादग्रस्त भूमि की वसीयत अपीलान्ट के पक्ष में श्रीमती सुशीला देवी द्वारा निष्पादित की हुई हैं। अपीलीय नामान्तकरण से उसका हित निहित है। अतः अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय पटवार हल्का सिसारमा के राजस्व ग्राम सिसारमा की मूल जिल्द नामान्तकरण की तलब की गई। रेस्पोडेन्टगण की ओर से उनके अधिवक्ता श्री महेश भट्ट उपस्थित। जिनके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

प्रकरण में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा एक प्रार्थनापत्र धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट जिस वसीयत को आधार बना कर न्यायालय में अपील प्रसतुत की है, उस वसीयत को रेस्पोडेन्टगण के मुकाबले में शुन्य व अवैध घोषित कराने का रेगुलर वाद माननीय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलान्ट द्वारा अपील का आधार वसीयत को बनाया है जबकि सुस्थापित विधि है कि नामान्तकरण की कार्यवाही एक संक्षिप्त कार्यवाही है। जिसमें पक्षकारान के राईट, टाईटल व इन्टरेस्ट तय नहीं किये जा सकते है। जो नियमित वाद से ही तय किये जा सकते है। नामान्तकरण की कार्यवाही फिस्कल प्रोसेडिंग में उठाये गये है वही विषय रेगुलर वाद में रेस्पोडेन्ट द्वारा उठाये गये है। ऐसी दशा में रेगुलर वाद के निस्तारण तक संक्षिप्त नामान्तकरण की कार्यवाही को रोका जाना आवश्यक है।

प्रार्थनापत्र 151 जा.दी. का जवाब अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रजिस्टर्ड वसीयत को शुन्य व अवैध घोषित करने का अधिकार सिर्फ सिविल न्यायालय को ही है। रेस्पोडेन्टगणों द्वारा मिलीभगत कर अपने नाम पर नामान्तकरण खुलवा लिया। रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपील अपीलार्थी द्वारा आप न्यायालय में प्रस्तुत करने के पश्चात अपील को लम्बित करने के लिए एक रेगुलर वाद उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के यहा प्रस्तुत किया गया है। जो अपीलान्ट के अधिकारों के मुकाबले शुन्य व बेअसर है। क्योकि वसीयत का टाईटल तय करने का अधिकार सिर्फ सिविल न्यायालय को ही है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र निराधार होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं।

प्रार्थनापत्र पर उभयपक्ष को सुनने के पश्चात न्यायालय का मत है कि चूंकि अपीलान्ट द्वारा अपील पहले प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत होने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील की कार्यवाही को स्टे किया

जाना न्यायोचित नहीं है। अतः रेस्पोडेन्ट का प्रार्थनापत्र 151 जा.दी. खारीज किया जाता है।

प्रकरण में अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा.दी0 का प्रस्तुत कर इकरारनामा दिनांक 06.07.1969, जमाबन्दी की प्रति, दानपत्र दिनांक 28.01.14 एवं विक्रय पत्र की छायाप्रतियां प्रस्तुत कर रेकार्ड पर लिये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

उक्त प्रार्थनापत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए रेस्पोडेन्ट द्वारा निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा जो दस्तावेज अपने प्रार्थनापत्र के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत किये जा रहे है। समस्त दस्तावेजो की फोटोप्रतिया लगाई गई है जो प्रथम दृष्टया देखे जाने एवं विचार किये जाने योग्य नहीं है। असल/सत्यप्रति के अभाव में इन्हे रेकार्ड पर नही लिया जा सकता है। अपने प्रार्थनापत्र में यह भी नहीं बताया गया है कि प्रस्तुत दस्तावेज अपील में किस प्रकार से सुसंगत एवं आवश्यक है। अतः इन दस्तावेजो को रेकार्ड पर नही लिया जाये।

अपीलान्ट के उक्त प्रार्थनापत्र पर न्यायालय का मत है कि प्रस्तुत दस्तावेजो की फोटोप्रतियां है जो प्रमाणितशुदा नहीं है परन्तु इन दस्तावेजो को पत्रावली पर लिया जाता है तो अपील की प्रकृति में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पडेगा, ना ही न्यायालय के निर्णय पर इनका कोई असर होगा। अतः प्रस्तुत दस्तावेजो की एक प्रति अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट को उपलब्ध करायी जाकर प्रस्तुत दस्तावेजो को रेकार्ड पर लिया जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा सिसारमा के आराजी नं. 2029 से 2044 कुल किता 16 रकबा 2.5050 है0 कृषि भूमि अपीलान्ट की बहन स्व.सुशीला देवी व्यास के पति स्व. श्री नर्बदाशंकर जी व्यास की मौरूसी भूमि होकर उनके हक हिस्से में आई थी। उक्त भूमि जरिये दानपत्र से नर्बदाशंकर जी द्वारा अपनी पत्नी सुशीला देवी के नाम दिनांक 28.01.14 को हस्तान्तरित कर दी। जिसका नामान्तकरण दिनांक 20.07.14 को सुशीला देवी व्यास के नाम पर राजस्व अभिलेख में खोला जाकर दर्ज हुई। तब से उक्त भूमि पर कब्जे काश्त सुशीला देवी व्यास का ही रहा। अपीलान्ट की बहन सुशीलादेवी के कोई जायन्दा औलाद नही होने से नर्बदाशंकर व्यास की मृत्यु उपरान्त मेरे साथ ही निवास करती थी। उसकी सारी सेवा, सुश्रुषा मेरे द्वारा ही की जाती रही। उसकी मृत्यु के तीन वर्ष पूर्व ही अपनी उक्त आराजीयात कृषि भूमि की वसीयत दिनांक 07.02.14 को मुझ अपीलान्ट के नाम कर दी गई। तब से अपीलान्ट उक्त कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रही है। अपीलान्ट की बहन की मृत्यु दिनांक 17.07.17 को अपीलन्ट के घर 446, अम्बामाता स्कीम पर हो जाने से उसका सारा सामाजिक क्रियाक्रम मुझ अपीलान्ट द्वारा ही किया गया। बहन की मृत्यु के उपरान्त पंजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तकरण अपने नाम पर खुलवाने के लिए तहसीलदार सा. गिर्वा के यहां प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिस पर उनके द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु पटवारी हल्का को प्रेषित कर दिया गया। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 14.07.18 को उक्त कृषि भूमि का नामान्तकरण हेतु पटवारी हल्का से

मिली तो पटवारी सा. द्वारा बताया गया कि इस जमीन का नामान्तकरण तो दो माह पूर्व ही उनके वारिसानों के नाम पर विरासत के आधार पर खुल चुका है। जिस पर पटवारी सा. को बताया गया कि मेरी बहन की विधिक वारिस मै ही हू। पटवारी सा. द्वारा नामान्तकरण रजिस्टर बताया जो रेस्पोडेन्ट के नाम खुला हुआ था। रेस्पोडेन्टगण द्वारा मेरी बहन का विधिक वारिसान बताते हुए फर्जी व मिथ्या तरीके से शपथपत्र व प्रार्थनापत्र व पारिवारिक सजरा पेश करके मेरी बहन की उक्त भूमि का नामान्तकरण विरासत के आधार पर रेस्पोडेन्ट द्वारा खुलवा लिया गया। जबकि बहन की विधिक वारिस मै ही हुॅ। उक्त भूमि की पंजीकृत वसीयत मुझ अपीलान्ट के नाम करवा रखी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्टगण के नाम खोला गया अपीलीय नामान्तकरण को अपास्त कर पंजीकृत वसीयत पत्र के आधार पर अपीलान्ट के नाम राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि का नामान्तकरण दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाये।

विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थीया जिस वसीयत को आधार बनाकर आप न्यायालय में आयी हैं उसी वसीयत को रेस्पोडेन्टगण ने माननीय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के समक्ष रेस्पोडेन्टगण के मुकाबले शुन्य एवं अवैध घोषित करवाने का रेगुलर वाद पेश किया जा चुका है। जो विचाराधीन हे। नियमित वाद में रेस्पोडेन्टगण ने अपने वाद में किस तरह से अपने आप को मृतक सुशीलादेवी का वारिवान बतलाया उसका सजरा भी वाद के साथ प्रस्तुत किया और किस तरह से अपीलान्ट द्वारा पेश की गई वसीयत कूटरचित एवं फर्जी है यह भी विस्तार पूर्वक विवेचन किया है। दोनो विषय एवं बिन्दु ऐसे है जो साक्ष्य के लिए महताज है। ऐसे विषय एवं बिन्दुओं को इस संक्षिप्त नामान्तकरण की कार्यवाही में तय नहीं किये जा सकते है। नियमित वाद में जो अनुतोष चाहा है वह भी इस संक्षिप्त कार्यवाही में तय नहीं किये जा सकते है। जो अनुतोष नियमित वाद में चाहे गये है, उन बिन्दुओ का निराकरण नामान्तकरण की कार्यवाही में नहीं किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के विधिक वारिसानों के अधिकार तय नही किये जा सकते है। अधिकारों का साक्ष्य सबूतों के आधार पर नियमित वाद में ही निश्चित किया जा सकता है। वाद भले ही नामान्तकरण की अपील के बाद पेश किया हो। अपने कथनो की ताईद में आरआरटी 2017(2)पेज 1348, आरआरटी 2011(2)पेज 1264, आरआरटी 2009(2)पेज 816, आरआरटी 2016(2)पेज 1099, आरआरटी 2010(1)पेज 675, आरआरटी 2012(1)पेज 520, आरआरटी 2008(1)पेज 228, आरबीजे 2014(21)पेज 19 के दृष्टांत प्रस्तुत किये। अतः कृपया अपील अपीलान्ट निरस्त फरमायी जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया। उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि हस्तगत प्रकरण में अंकित वादग्रस्त भूमि मौजा सिसारमा के आराजी नं. 2029 से 2044 किता 16 रकबा 2.5050 है0 भूमि के खातेदार संलग्न जमाबन्दी 2070–2073 अनुसार मोजा सिसारमा के खाता सं. 829 के

खातेदार सुशीलादेवी व्यास पत्नी नर्बदाशंकर व्यास निवासी अम्बामाता स्कीम उदयपुर खातेदार दर्ज अंकित है। संलग्न पंजीकृत वसीयत नामा दिनांक 07.02.14 के अनुसार उक्त भूमि की वसीयत खातेदार श्रीमती सुशीला देवी व्यास द्वारा सुश्री लता सुखवाल पुत्री श्री पुरूषोत्तम जी सुखवाल के हक में दिनांक 07.02.14 को निष्पादित की गई है। संलग्न मृत्यु प्रमाणपत्र दिनांक 11.08.17 के अनुसार सुशीलादेवी व्यास की दिनांक 17.07.17 को मृत्यु हो चुकी है। सुशीलादेवी की मृत्यु उपरान्त उनकी अन्तिम ईच्छा पत्र यानि की वसीयत नामा अनुसार उक्त भूमि की वारिस वसीयतग्रहिता सुश्री लता सुखवाल पुत्री श्री पुरूषोत्तम जी सुखवाल है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलीय नामान्तकरण रेस्पोडेन्टगणों के नाम खोला गया है, जो की खातेदार श्रीमती सुशीला देवी व्यास द्वारा निष्पादित वसीयतनामा अनुसार नहीं है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है कि रेस्पोडेन्टगण द्वारा प्रस्तुत वसीयत कूटरचित है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत कर खातेदारी के अधिकारों का अनुतोष चाहते हुए वसीयतनामा को निष्प्रभावी किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया हैं। यह वाद रेस्पोडेन्टगणों द्वारा न्यायालय में अपील प्रस्तुत किये जाने के बाद प्रस्तुत किया गया है। जो मात्र अपील को लम्बित करने के लिए ही प्रस्तुत किया गया है। जिसमें जमीन का राईट, टाईटल व इन्टरेस्ट तय करने के लिए अनुतोष चाहा गया है। परन्तु मूल खातेदार द्वारा वसीयत ही अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित की गई है, जो पंजीकृत है। जिस पर अविश्वास करने की कोई गुंजाईश नही है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिर्वा द्वारा मौजा सीसारमा का निर्णित नामान्तकरण सं. 6500 निर्णय दिनांक 08.05.18 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिर्वा को इन निर्देशों के साथ में पुनः प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दोनो पक्षों को सुना जाकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर खातेदार श्रीमती सुशीलादेवी द्वारा निष्पादित अंतिम इच्छा पत्र के अनुसार नामान्तकरण की कार्यवाही नये सिरे से पुनः दर्ज कर फैसल करें।

निर्णय की प्रति एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय पटवार हल्का सिसारमा के राजस्व ग्राम सिसारमा की मूल जिल्द नामान्तकरण की रसीदन सिपुर्द की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिर्वा को पालनार्थ प्रेषित है।

पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anandhi Palaniswamy
Date: 2020.03.18 16:29:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: